

शुभ,

श्री आनंद नागरी,
राज्य शासक,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विद्या भवन 2, अजमेर रोड,
प्रतिष्ठान बिहार नई दिल्ली ।

विद्या 171 अनुदान

तारीख: दिनांक: 20 अगस्त, 1996

विषय:- अगस्त 1996 में राज्य सरकार द्वारा 25 नवीं मासिक वेतन को सीपीएफ़ के नई दिल्ली से सम्बन्धित अनुदान प्रदान करने के संबंध में ।

बहुतेरा,

उपर्युक्त विषय पर मेरे पत्र को आप को भेजा है कि अगस्त 1996 में राज्य सरकार द्वारा 25 नवीं मासिक वेतन को सीपीएफ़ के नई दिल्ली से सम्बन्धित अनुदान प्रदान करने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुदान नहीं है :-

111. विद्यालय की संबंधित तैयारी का समय समय पर परीक्षाओं का आयोजन कराया जायेगा ।
121. विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
131. विद्यालय में कम से कम एक प्रतिपाठ स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए गए विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
141. तैयारी द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैल्यू शिक्षा परिषद से सम्बन्धित प्रश्न के साथ विद्यालय को सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोशिका फार टि इन्डियन स्कूल सर्विसेज अकादमी नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परीक्षकों से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से परिषद से सम्बन्धित तथा राज्य सरकार से अनुदान स्थापना सम्बन्धित हो जायेगी ।
151. तैयारी के लिए सभी शिक्षकों को राजकीय तटायता प्राप्त शिक्षक तैयारी के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
161. कर्मचारियों की सेवा भी बनाया जायेगा और उन्हें तटायता प्राप्त आसानीय उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निष्काशित किये जायेंगे -
 किया जायेगा।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित रूप/परिष्कारों में रखा जायेगा।

19। उक्त इलाकों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- भूमि की पर्याप्त उपलब्धता के संबंध में सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृक या शिथिलता करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा उचित अनुपत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

।मंगी नंगी।
 संयुक्त सचिव।

फॉर्म 2700111/15-7-1996 तदुद्दिष्ट

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मध्यम संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।
- 4- निरीक्षक, अंग्ग भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- प्रमुख, जनराइज विद्या स्कूल वेस्टर् 25 नोयडा गाजियाबाद।

आज्ञा है,

[Handwritten Signature]

।मंगी नंगी।
 संयुक्त सचिव।

[Handwritten Mark]